


न्यायालय श्रीमान् म०प्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर रीवा जिला रीवा

(म०प्र०)

निगा 14116- II-15



रामनारायण तनय वाल्मीक वैसवार निवासी ग्राम अगडाल तहसील

रामपुर नैकिन जिला सीधी (म०प्र०) -----निगरानीकर्ता

बनाम्

1. मध्यप्रदेश राज्य जिलाध्यक्ष सीधी रू
2. आम ग्राम अगडाल द्वारा रामदेव तनय लालमन वैसवार निवासी
ग्राम अगडाल तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी (म०प्र०)

श्री ड. राजीव शर्मा
द्वारा आदि दि 28/12/15 को
प्रस्तुत

-----गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी बिरुद्ध आज्ञा श्री डा०
म०पी० पटेल अपर कलेक्टर
सीधी प्रकरण क्रमांक -
316/निगरानी/2011-12 आदेश
दिनांक 23/11/2015

निगरानी अन्तर्गत धारा 50
म०प्र०भू०राजस्व संहिता।

मान्यवर.

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

342

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक R/4116/2/15, सीधी,

शामनारायण / शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28/12/18	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>मुकेश भागव</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला <u>सीधी</u> के प्रकरण क्रमांक <u>316/सिवा/11-12</u> में पारित आदेश दिनांक <u>23/11/2015</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त संभाग <u>सीवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>03/04/18</u> को संभागीय आयुक्त <u>सीवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"><u>सदस्य</u></p>	